



11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

E-Mail - dfo_badrinalh_ula@yahoo.co.in Phone No - 01372 252175

पत्रांक: 6240 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, जून् 27 12026

सेवा में

अभिषारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
थराली।

विषय:- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत नन्दकेसरी-पूर्णा से घरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.435 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
प्रस्ताव सं० F/K/LK/Road/48913/2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत नन्दकेसरी पूर्णा से घरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.435 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत हुए पाव बर्ष पूर्ण हो चुके हैं, फलस्वरूप उक्त प्रकरण हेतु एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की वर्तमान दरों के अनुसार अवशेष घनराशि जमा की जानी है, जिसके क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण हेतु निम्न तालिका-1 के अनुसार राशोधित एन०पी०वी० की दर एवं तालिका 2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की वर्तमान दरों के अनुसार अवशेष घनराशि निम्नानुसार जमा करते हुए इस कार्यालय को सूचित करे।

तालिका-1

एन०पी०वी० हेतु	ई०के० क्लास	क्षेत्रफल (हे० में)	Signature दिनांक	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये एन०पी०वी० की घनराशि (रु० में)			वर्तमान में निर्धारित नई दरों के अनुसार एन०पी०वी० का आकलन			जमा किये जाने वाली अवशेष घनराशि (रु० में)
				औसत घनत्व	दर प्रति हे०	घनराशि (रु० में)	औसत घनत्व	दर प्रति हे०	घनराशि (रु० में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
V	1	1.435	31-03-2021	0.3	657000.00	942795.00	0.3	1005210.00	1112176.00	499681.00

तालिका-2

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु	परियोजना का क्षेत्रफल (हे० में)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल (हे० में)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण की घनराशि (रु० में)		वर्तमान में निर्धारित नई दरों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की घनराशि का आकलन		जमा किये जाने वाली अवशेष घनराशि (रु० में)
			दर प्रति हे०	घनराशि (रु० में)	दर प्रति हे०	घनराशि (रु० में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.435	2.87	337181.00	967718.00	597341.00	1711369.00	746651.00	

अतः विषयांकित प्रकरण में एन०पी०वी० की अवशेष घनराशि हेतु उपरोक्त तालिका 1 के कॉलम सं० 10 में अंकित रु० 4,99,681.00 (चार लाख निम्नानुसार हजार छह सौ इक्यासी रुपये मात्र) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की अवशेष घनराशि हेतु तालिका 2 के कॉलम सं० 7 में अंकित रु० 7,46,651.00 (सात लाख छियालीस हजार छह सौ इक्यावन रुपये मात्र) की घनराशि को ऑनलाईन वालन के माध्यम से यथाशीघ्र जमा कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे। ताकि प्रकरण में अग्रतः कार्यवाही की जा सके।

अवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

